यह निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 04/2013 से 03/2017 के लेखा-अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री दया शंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26.04.2017 से 06.05.2017 तक श्री महेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1). <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री ....., सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक ..... से ..... तक श्री ....., वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह ..... से ..... तक के लेखा-अ भलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः राज्य में खेलों के उन्नयन तथा खला डयों के प्रोत्साहन के लए वभाग द्वारा खेलों के वकास हेतु व भन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर खेल के क्षेत्र में चतुर्मुखी वकास करना है। इकाई का भौगो लक अ धकार क्षेत्र पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य है।

इकाई का बजट आवंटन का स्रोत उत्तराखण्ड सरकार एवं भारत सरकार है।

(अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	-	-	507.20	390.46	7709.96	6249.60	-	-
2014-15	-	-	467.31	449.08	12097.85	12071.73	-	-
2015-16	-	-	531.65	456.35	19807.59	8382.32	-	-
2016-17	-	-	728.46	545.18	27371.77	23634.65	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य(+)/	बचत(-)
2013-14	1. महाराणा प्रताप स्पोटर्स कॉलेज के हॉकी ग्राउण्ड में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण	-	180.00	180.00	-	-
	2. जनपद उधम संह नगर के काशीपुर में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण	-	180.00	180.00	-	-
	3. 13वे वत्त आयोग की संस्तुति के क्रम में हल्द्वानी में स्पोर्टस स्टे डयम का निर्माण	-	1250.00	1250.00	-	-
2014-15	1. महाराणा प्रताप स्पोटर्स कॉलेज के हॉकी ग्राउण्ड में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण	-	440.41	440.41	-	-
	2. जनपद उधम संह नगर के काशीपुर में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण	-	330.27	330.27	-	-
	3. 13वे वत्त आयोग की संस्तुति के क्रम में हल्द्वानी में स्पोर्टस स्टे डयम का निर्माण	-	1250.00	1250.00	-	-
2015-16		-	-	-	-	-
2016-17		-	-	-	-	-

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'ए' श्रेणी की है।

वभाग ढांचा (Department Structure)

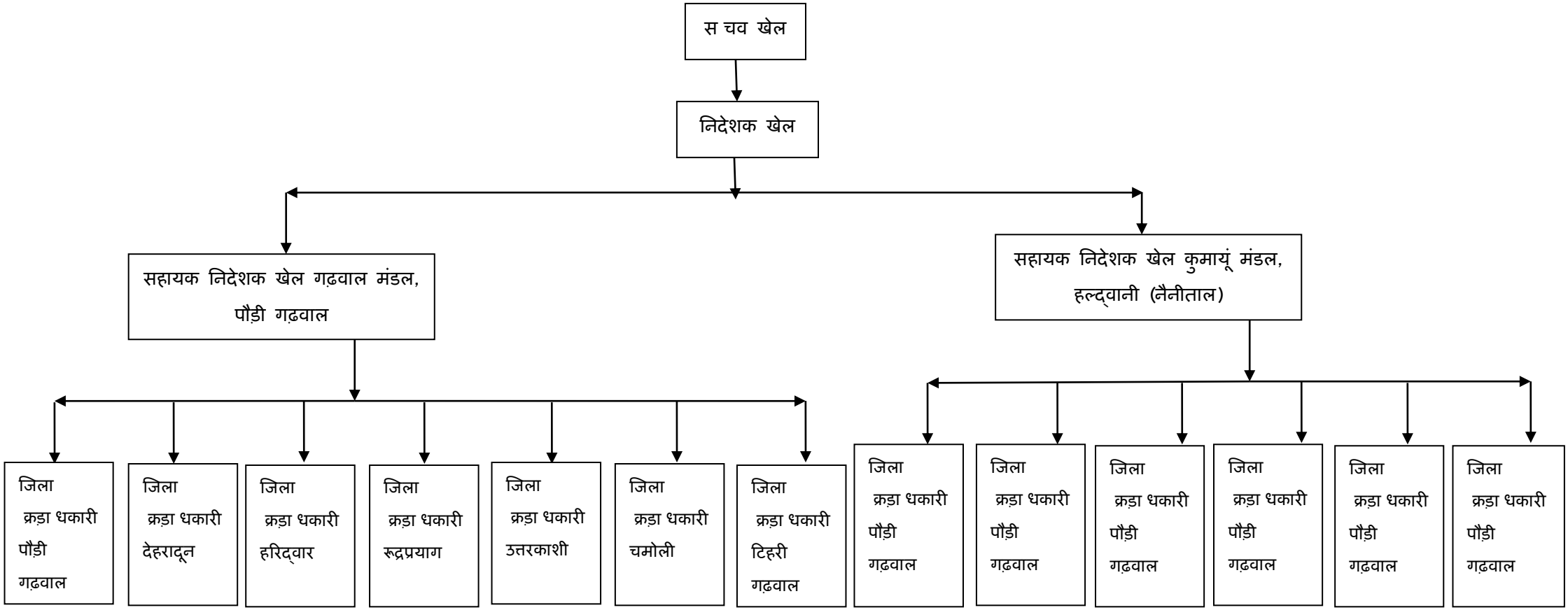

<u>नोटः-</u> जनपद पौड़ी एवं नैनीताल के आहरण- वतरण का कार्य सहायक निदेशक, खेल डी.डी.ओ. कोड़ संख्या 2443 होने के कारण इन जनपदों के जिला क्रीड़ा अ धकारियों के द्वारा आहरण- वतरण का कार्य नहीं कया जा रहा है।

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को आच्छादित कया गया है समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 08/2016 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- 1289.50 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कए जाने के बावजूद समय से कार्य पूर्ण न कए जाने से लागत वृद् ध की संभावना।

शासनादेश संख्या 65/VI-2/2015-22(2)13 टी.सी. दिनांक 30 मार्च 2015 के अनुसार हल्द्वानी स्थित स्टे डयम में इंडोर कॉम्पलेक्स व हास्टल भवन के निर्माण केजाने की स्वीकृति प्रदान की गयी, उक्त कार्य हेतु टी.ए.सी. द्वारा 1435.07 लाख की लागत अनुमोदित की गयी, जिसमें 1135.19 लाख स वल कार्य हेतु एवं 299.88 लाख अ धप्राप्ति हेतु स्वीकृत कए गए। उक्त कार्य हेतु संगत मानक मद से 200 लाख की वत्तीय स्वीकृति (अवमुक्त) भी प्रदान की गयी। उक्त कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ल. को कार्यदायी संस्था नियुक्त कया गया। यह भी निर्देश दिये गए क कार्य प्रारम्भ से पूर्व वत्त वभाग के शासना देश 474/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार कार्यदायी संस्था के निर्धारित प्रपत्र पर एम.ओ.यू. अवश्य हस्ताक्षरित कराया जाना सुनिश्चित कया जाए।

संबं धत पत्रावली क जांच में पाया गया क द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ निर्धारित प्रपत्र पर एम.ओ.यू. कराया गया था जिसके अनुसार उक्त निर्माण कार्य निम्न प्रकार पूर्ण कया जाना सुनिश्चित कया गया।

दिनांक	भौतिक प्रगति
01.11.2015	25 प्रतिशत
01.05.2016	50 प्रतिशत
01.11.2016	75 प्रतिशत
01.05.2017	100 प्रतिशत
01.06.2017	परियोजना हस्तांतरण

कार्यदायी संस्था द्वारा माह मार्च 2017 की भौतिक एवं वत्तीय प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार संस्था को अनुमोदित लागत के सापेक्ष 1289.50 लाख हस्तगत कए जा चुके थे जो क कुल लागत का 84.87 प्रतिशत था, जब क कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्यपर कुल व्यय 990.02 लाख दर्शाया गया एवं भौतिक प्रगति 68 प्रतिशत दर्शायी गयी, साथ ही कार्य की अनुमानित (संभा वत) लागत 2100.00 लाख आंकी गयी।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया क जो कार्य दिनांक 01.05.2017 तक पूर्ण कर लया जाना चाहिए था, कार्यदायी संस्था द्वारा 68 प्रतिशत भौतिक प्रगति के साथ वलम्ब से चल रहा था एवं कार्य लागत में वृद् ध की सम्भावनाएँ भी उत्पन्न हो गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबध में पूछे जाने पर वभाग ने अपने उत्तर में बताया क कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य निर्धारित लागत में ही पूर्ण कये जाने एवं कार्य की

गति बढ़ाने के संबंध में मौ खक रूप से निर्देश दिये गए हैं। यह भी अवगत कराया गया क कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक पुनरी क्षत आगणन प्रस्तुत नहीं कया गया है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क सक्षम अ धकारियों द्वारा मौ खक निर्देश समय से कार्य पूर्ण कराये के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं है। साथ ही कार्य दायी संस्था द्वारा संभा वत लागत के संबंध में भी सर्फ मौ खक निर्देश ही दिये गये हैं जिनकी प्रमा णकता सद्ध नहीं की जा सकती।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियिं के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- कार्यदायी संस्था से अनुबंध कये बिना 620.40 लाख के कार्य कराया जाना।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या- 02/VI-2/2014-22(13)2013 दिनांक 30.03.2014 के द्वारा शहरी क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सु वधा योजना (USIS) के अंतर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्टस कालेज रायपुर, देहरादून में सस्पोटिक टर्फ हाकी लगाये जाने हेतु प्रस्तुत आगणन 649.12लाख टी.ए.स. से परीक्षणोपरान्त संस्तुत कुल आग 620.40 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनरा श 5.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम कश्त के रूप में 179.99 लाख की धनरा श जारी की गई।

उक्त कार्य हेतु उ.प्र.रा.नि. निगम ल. देहरादून को कार्यदायी संस्था के रूप में चयनित कया गया। एवं शासन के पत्र संख्या 243/VI-2/2014-22(13)2013 दिनांक 19.06.2014 द्वारा उक्त धरा श निर्माण एजेंसी को व्यय करने हेतु उपलब्ध कराये जाने का आदेश दिया। दिनांक 30.03.2014 के शासनादेश में बिन्दु सं. 9 में स्पष्ट व र्णत है क कार्यदायी संस्था के साथ वत्त वभाग के शासनादेश सं. 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008, शासनादेश सं. 414/XXVII(7)/2007 दिनांक 23.10.2008 एवं शासनादेश सं. 594/XXVII(7)/2010 दिनांक 09.06.2010 के अनुसार MOU हस्ताक्षरित कर समय सारणी के अनुसार समय से कार्य पूर्ण कराये जाये।

कार्य संबंधी लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क वभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं कया गया है। अ भलेखों में उपलब्ध अनुबंध (MOU) मात्र वभाग द्वारा हस्ताक्षरित है और कार्यदायी संस्था के कसी प्रतिनि ध एवं साक्षीगण के हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही अनुबंध पत्र में ति थ का उल्लेख है। अहस्ताक्षारित अनुबंध पत्र में कार्य प्रारम्भ करने की ति थ 01.06.2014 दर्शायी गई है। जब क कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत माह 11/2014 के मा सक प्रगति प्रतिवेदन में कार्य प्रारम्भ करने की ति थ 30.03.2014 दर्शायी गई है।

कार्यदायी संस्था द्वारा अनुबंध पत्र हस्ताक्षारित नहीं होने के कारण वैधानिक रूप से अनुबंध पत्र अमान्य है जिससे निर्माण में खा मयों, Defect liability period एवं दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति संबंधी उपलब्ध प्रावधानिं का लाभ ग्राहक वभाग को नहीं मल सकता।

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग ने स्वीकार कया क MOU गठित नहीं कया गया है क्षतिपूर्ति संबंधी प्रश्नों के उत्तर में वभाग ने बताया क चूं क कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः क्षतिपूर्ति के संबंध में नया अनुबंध कया जायेगा।

अतः बिनां कार्यदायी संस्था से अनुबंध कये 620.40 लाख का कार्य कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की 30.87 लाख की धनरा श की योजनाओं के क्रया चयन में श थलता।

खेल वभाग को वत्त वर्ष 2015-16 में अनुदान सं. 30 में अनुसू चत जातियों के लये 20.00 लाख एवं अनुदान सं. 36 में अनुसू चत जनजातियों के लये 18.00 लाख की धनरा श स्वीकृत की गई थी। उपरोक्त धनरा श से अनुसू चत जाति एवं अनुसू चत जनजाति के बच्चों हेतु प्र शक्षण श वरों एवं प्रतियो गताओं का आयोजन कया जाना था।

बजट अ भलेखों की जांच में पायागया क उपरोक्त दोनों योजनाओं में स्वीकृत धनरा श 38.00 लाख में से मात्र 7.13 लाख की धनरा श व्यय की गई एवं शेष 30.87 लाख की धनरा श सम र्पत कर दी गई। जिससे स्पष्ट है क पर्याप्त धनरा श होने के बावजूद अनुसू चत जातियों एवं जनजातियों के बच्चों हेतु खेल संबंधी योजनाओं के क्रयान्वयन में श थलता बरती गई। जिससे जनपद स्तर पर पर्याप्त प्र शक्षण श वर एवं खेल प्रतियो गताओं आयोजित नहीं की गई। एवं संब धत वर्गों के बच्चों को लाभान्वित नहीं कया जा सका।

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत कयेजाने पर वभाग ने स्वीकार कया क कारणों से प्रतियो गताओं आयोजित नहीं कराई जा सकी। जिसके दृष्टिगत अपे क्षत लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी। निदेशालय द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदमों के बारें में पूछे जाने पर वभाग ने बताया क निदेशालय से मौ खक निर्देश दिये गये थे एवं भ वष्य में इसका कडाई से पालन कया जायेगा।

अतः वभागीय श थलता के कारण स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत पर्याप्त धनरा श होते हुए वं चत वर्गों हेतु योजनाओं के क्रयान्वयन का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 का उल्लंघन कर 6.50 लाख की सामग्री का क्रय।

उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली के नियम सं. 3(4) के अनुसार अ धप्राप्तिकर्ता संगठन की व शष्ट आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए अ धप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि व शष्टताओं स्पष्ट रूप से सू चत की जानी चाहिये। जिससे अतिरिक्त और अनावश्यक लक्षणओं को शा मल कये बगैर इस प्रकार तैयार की गई व शष्टताओं द्वारा संगठन की आधाभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे अवांछित व्यय न हो। इसी प्रकार नियम सं. 3(6) के अनुसार सभी शर्तों समान होने पर सामान्यतः न्यूनतम दर वाली नि वदा स्वीकार की जाये। अन्यथा इस कारणों को सर्वथा अ भ ल खत कया जाये। जिनके कारण न्यूनतम दर वाली नि वदा अस्वीकृत की गई है।

महाराणा प्रताप स्पोर्टस कालेज के क्रय/टेण्डर/कोटेशन संबंधी अ भलेकों की जांच में पाया गया क कालेज प्रशासन द्वारा वर्ष 2014-15 में एक वा लंग मशीन एवं क एयर कंडीशनर का क्रय कया गया। एयर कंडीशनर क्रय में नि वदा संबंधी कसी प्र क्रया का पालन नहीं कया गया। बा लंग मशीन की नि वदा में मात्र दो फर्मों द्वारा प्रतिभाग कया गया। जिसमें से व शष्टिताओं के दृष्टिगत एक मशीन Hoko Bolo Professional का चयन कया गया। जिस हेतु मात्र एक फर्म द्वारा प्रतिभाग कया गया। शेष अन्य जार मशीनों को परीक्षण स मति द्वारा चयनित नहीं कया गया। बा लंग मशीन के बारे में वस्तुतः यह क ही नि वदा का प्राप्त होना हुआ। नियमानुसार इसे निरस्त कर बा लंग मशीन के व शष्टिताओं सहित पुनः नि वदा आमंत्रित की जानी चाहिये थी। जिसका पालन नहीं कया गया। और न ही मशीन के चयन के पश्चात अन्य फर्मों से इसकी कीमत के बारे में कोई चर्चा ही की गई।

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग ने उत्तर दिया क एअर कंडीशनर मा. मंत्री जी द्वारा क्रय कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत कया गया। बां लग मशीन के संबंध में वभाग ने उत्तर दिया क मेक/ब्रान्ड के आधार पर नि वदा में सामग्री क्रय नहीं की जा सकती है। वभाग ने यह भी उत्तर दिया क मैसर्स भाटिया स्पोर्टस की खेल सामग्री नि वदा में अन्य सामग्री चयनित की गई थी। जिस कारण उक्त मैसर्स द्वारा बा लंग मशीन की दरों पर वचार नहीं कया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क खेल सामग्री अ धप्राप्ति में कालेज प्रशासन द्वारा नियमों का पालन नहीं कया गया। बल्कि मात्र औपचारिकता का निर्वाह कया गया। अतः उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 का उल्लंघन कर 6.50 लाख (होको बोला बा लंग मशीन 5.80 लाख + एअर कंडीशनर 0.70 लाख) की सामग्री क्रय कये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**	**TAN**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-
अप्रस्तुत अ भलेख: शून्य

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री ए.जी. कवडवाल	निदेशक
2.	श्री अजय कुमार प्रदयोत	निदेशक
3.	श्री शौलेश बगौली	निदेशक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी
(सामाजिक क्षेत्र)